# न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

| कमांक एवं तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

15.9.22

## आदेश

प्रस्तुत अभिलेख का संधारण प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में किया गया है।

आवेदन प्राप्त होने के उपरांत राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि उभय पक्षो के राजस्व कागजात की मांग कि जा सकती है

तदोपरांत उभय पक्षो को प्रशासनिक नोटीस निर्गत कर सुनवाई की गई। नोटीस तामिला के उपरांत उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं वाद को विविध वाद में परिणत कर सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित आवेदन में उल्लेखित किया गया है कि इनके पिता स्व0 जुगल राम के नाम से पंजी II में खाता सं0 220 प्लॉट सं0 678/995 रकवा 1.37 ए0 भूमि दर्ज है। वर्ष–2011 तक सरकारी रसीद जुगल राम के नाम से निर्गत किया गया है। परन्तु ONLINE पंजी II में जुगल राम वगै0 लिखा हुआ है। वगै0 शब्द को हटाने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व उपपिरीक्षक सह अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि ऑफलाईन पंजी II में खाता सं0 111 प्लॉट 678 रकवा 2.12 ए0 तथा वगै0 शब्द बाद में जोडा हुआ प्रतीत होता है, तथा वर्णित शब्दों को जोडने के संबंध में कोई भी आदेश दर्ज नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रसीद में जुगल राम वल्द कनी राम लिखा हुआ है। ONLINE खतियान के अनुसार खाता सं0 220 बकास्त खाते की भूमि है जिसका प्लॉट सं0 678/995 रकवा 1.37 ए0 दर्ज है। वर्तमान में जमीन परती है। ग्रामिणो द्वारा बतलाया गया कि पूर्व में जुगल राम एवं उनके वंशजो तथा आवेदक का खेती बारी होते रहा है।

नोटिश तामिला के उपरांत उभय पक्ष उपस्थित हुआ परन्तु कांई कागजात द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहने लगे पुनः उन्हे नोटिश निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष एक तिथि को उपस्थित होकर आवेदन दिए कि जुगल राम एवं वासुदेव राम पिता–कनी राम दोनो सगे भाई है, और दोनो भाईयों में आपसी जमीन का बंटवारा नही हुआ था। जुगल राम बडा भाई होने के नाते सारा कागजात

Scanned with OKEN Scanner

अपने साथ रखते थे, इनके द्वारा ONLINE रसीद समर्पित किया गया है।

द्वितीय पक्ष के ओर से निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया है:–

1. T.S.N No 116/2023 से संबंधित तथ्य विवरणी–

उक्त टाइटल सुट में प्रश्नगत भूमि सन्निहित नही है।

2. वर्ष–1976, 1974, 1970, 1992, 1973 वर्ष 2011 में निर्गत ऑफलाईन रसीद की छायाप्रति जो जुगल राम के नाम से निर्गत किया गया है।

3. ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति जो जुगल राम वगै0 के नाम निर्गत किया गया है।

4. ऑनलाईन पंजी–II की छाया प्रति जिसमें वगै0 शब्द जोडा हुआ प्रतित होता हैएवं प्लॉट न0–111 एवं रकवा में ओवर राइटिंग किया गया प्रतित होता है।

उभय पक्ष द्वारा दाखिल कागजातों राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि खाता 220 प्लॉट 678/995 रकवा 1.37 ए0 भूमि जुगल राम को हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है, अनेकों ऑफलाईन रसीद वर्ष–2011 तक जुगल राम के नाम से निर्गत किया है पंजी II में वगैरह शब्द जोडा हुआ प्रतीत होता है। प्राधिकार कॉलम सादा है। साथ ही खाता सं0 111 प्लॉट सं0 678 भी अलग से जोडा हुआ प्रतीत होता है। रकवा में ओवर राईटिंग है, परन्तु ऑनलाईन में खाता 220 प्लॉट 678/995 रकवा 1.37 ए0 अंकित है एवं वगैरह अंकित है।

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा भी ऑफलाईन पंजी II में वगैरह शब्द अलग से जोडे जाने की पुष्टि की गई है।

सभी ऑफलाईन रसीद में वगैरह अंकित नही है। सिर्फ ONLINE रसीद में वगैरह अंकित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ONLINE पंजी II के पृष्ट सं0 86/1 पर से वगैरह शब्द को विलोपित करने का आदेशरा दिया जाता है।

राजस्व उपनिरीक्षक एक सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय में समर्पित करें।

असंतुष्ट पक्ष इस मामले को अपीलीय न्यायालय में ले जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

S.D.R.S

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

S.D.R.S

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by Deepak Kumar Mishra
Date: 2025.12.10 16:25:42 +05:30
Location: 10.65.205.149

Scanned with OKEN Scanner